सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-2/2017/1286/60-1-17-1/13(14)/15 टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक 16 मई, 2017**

विषयः- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर की जा रही धॉधली के संबंध में।

महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-335/60-1-17-1/13(14)/15, दिनांक 09.02.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर की जा रही धांधली के संबंध में है।

उपरोक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर रूपया एक लाख की सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित फर्जी आवेदन-फार्म कतिपय लोगों द्वारा वितरित किया जा रहा है, जो अवैधानिक/फर्जी है। उक्त योजना में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा नगद भुगतान किये जाने का किसी भी प्रकार का प्राविधान नहीं है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नगद अनुदान के नाम पर अवैधानिक रूप से आवेदन-फार्म के वितरण में कतिपय लोग सम्मिलित हैं तथा अब तक कई जनपदों से इस प्रकार के सैकड़ों पंजीकरण फार्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किये जा चुके हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में पोस्ट ऑफिस, स्थानीय अखबार, स्थानीय समाचार चैनल तथा सिनेमा हाल में विज्ञापन की स्लाइड के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर किए जा रहे फर्जीवाड़े को रोकने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार तथा जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी के हेल्पलाईन नम्बर को भी प्रसारित करायें।

यह भी संज्ञान में आया है कि अधिकतर फार्म जनपद के पोस्ट आफिस के माध्यम से पंजीकृत किये जा रहे है। अतः पोस्ट आफिस के बाहर इस आशय की सूचना का बोर्ड कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित किसी प्रकार का फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा, अवश्य लगवाया जाये। प्रदेश के जिन-जिन स्थानों से अवैधानिक रूप से फार्म वितरित किये जाने की सूचना मिलती है, त्वरित गति से उन स्थानों पर छापा डालकर इस अवैधानिक कार्य में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लिप्त व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए उनके विरूद्ध संगत धाराओं में कानूनी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-1286/60-1-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पंचम राम)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।